

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दूरभाष एवं फॅक्स नम्बर- 01592 - 235475/235474 E.mail Id.: desraj@jain@gmail.com

कमाक - जि.शिक्षा / पार / झु / मान्यता / 2012 /

562

दिनांक- 30.10.11

किशोरी इंटरनेशनल, चिरावा

विषय - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपा नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदय।

आपके दिनांक- 23/10/11 के आदेश और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं 1/4/12 से दिनांक- 31/3/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है।

- मान्यता की मसूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाधना विद्यमान नहीं है।
 - विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पाड़ों के कमजोर वर्गों और अल्पमत पर समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरतियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जान्य रचना धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि -
- यदि प्रवेश देने वाले किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निकाला नहीं किया जायेगा।
 - कक्षा में बालकों का शारीरिक दण्ड या मानसिक उपेक्षण के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता रास्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाठ्य धर्म की अपेक्षा के भीतर एसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापो में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal
Kishori International School
CBSE AFF.No - 1730479
Chirawa (JJN) Raj.-333026

Secretary
Satyadev Shikshan Sansthan
Chirawa (Raj.) 333026

